न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस

मु0 माल स0 89/2014

1–राजोदेवी पत्नी बोगाराम पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी गांव पडितावाली तहसील पीलीबंगा – प्रार्थीया

बनाम

1–बिमादेवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एलएनपी तहसील गगांनगर

2–संजय पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एलएनपी

3–सूर्यप्रकाश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एलएनपी

4–सुलतान पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी 11 एलएनपी

5–जमनादेवी पत्नी स्व.हजारीराम जाति जाट निवासी 11 एलएनपी

6–बद्रीप्रसाद पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी 11 एलएनपी

7–राजेन्द्रकुमार उर्फ राजपाल जाति जाट निवासी 11 एलएनपी 8–स्टेट आफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार श्रीगंगानगर –अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–1–श्री मोहनलाल पूनिया एडवोकेट–प्रार्थी

2–श्री काशीराम रिणवा एडवोकेट– अप्रार्थीगण

:–आदेश–: दिनांकः–7 जुलाई 2015

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण स0 185/91 में चक 11 एलएनपी के मु0न050 के कि0न011ता25,52 के कि0न01ता10 दोनों मुरब्बों की 25.00बीधा रकबा अप्रार्थीगण को आवंटन की थी। जिसके विरुद्व प्रार्थीया द्वारा एक अपील राजस्व अपील धिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26–5–2014 के द्वारा आंशिक रुप से स्वीकार करते हुऐ इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई कि चक 11एलएनपी के मु0न050 व 52 की 25.00बीधा रकबा में प्रार्थीया राजोदेवी का 1/6हिस्सा जो कि 4.03बीधा बनता हैं,को आवंटन आदेश में अंकित करते हुए पुनः संशोधित आवंटन आदेश पारित किया जावे। उक्त भूमि अन्य किसी को रहन बैय व दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहने हेतु प्रार्थनापत्र 151सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अस्थाई निषेघाज्ञा चाही गई।प्रार्थीया के वकील को दिनांक 3–6–14 को एक पक्षीय सुन कर प्रथम द्वष्टया प्रकरण होने पर चक11एलएनपी के मु0न050 के

MvK

cont (2)

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

कि0न011ता25सालम,मु0न052 के कि0न01ता10सालम दोनों की 25.00बबीधा भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करने रिकार्ड एंव मौका की यथास्थित बनाई रखने के आदेश दिये गयें। अप्रार्थीगण स04–5की ओर से श्री काशीराम रिणवा एडवोकेट उपस्थित आये।शेष अप्रार्थीगण के विरुद्व रजि0नोटिस से तलब करने पर उपस्थित नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। अप्रार्थीगण की और से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

दिनांक 24–6–2015 को दोनों पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थीया वकील ने प्रार्थनापत्र को दोहराते हुऐ पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल प्रकरण मे निर्णय तक जारी रखने का निवेदन किया। अप्रार्थी वकील ने तर्क दिया कि 212 आरटीए की कार्यवाही चल नहीं सकती हैं क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन हैं इसलिए वहीं से स्थगन प्राप्तकरें। यहां कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 212 आरटीए का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया।माननीय राजस्व अपील अधिकारी,श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 26–5–2014 के विरुद्व राजस्थान सरकार की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर के न्यायालय में अपील एलआर संख्या 4581 सन 2014 दायर हो चुकी है। मूल आवंटन पत्रावली स0185/2014 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर में भिजवाई जा चुकी हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर के न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आदि प्राप्त नहीं हुआ हैं। अतः प्रार्थीया का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में हैं। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हैं तो उसे अपूर्णीय क्षति भी कारित होती है। मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर से निर्णित नहीं हो जाता हैं अथवा उनके न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता हैं तब तक पूर्व में आदेश दिनांक 3–6–14 से जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर के अग्रिम आदेश तक/151सीपीसी के प्रार्थनापत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर